

FIR तथा सामान्य डायरी

[स्रोत: लाइव लॉ](#)

चर्चा में क्यों?

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने शैलेश कुमार बनाम यूपी राज्य (अब उत्तराखंड राज्य) वर्ष 2024 मामले में पुलिस द्वारा [प्रथम सूचना रिपोर्ट](#) तथा सामान्य डायरी/रोजनामचा प्रवृत्तियों के पंजीकरण के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि [संज्ञेय अपराध](#) का खुलासा करने वाली जानकारी को पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत पुलिस द्वारा रखी गई सामान्य डायरी में दर्ज करने के बजाय नरिदष्टि FIR बुक में FIR के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सामान्य डायरी प्रवृत्ति FIR के पंजीकरण से पहले नहीं हो सकती जब तक कि प्रारंभिक जाँच आवश्यक न समझी जाए।

FIR क्या होती है?

- **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** एक लिखित दस्तावेज़ है जिसे पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उन्हें किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में सूचना प्राप्त होती है।
 - संज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस बनिा वारंट के किसी व्यक्ति को गरिफ्तार कर सकती है।
 - FIR शब्द को भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, कति पुलिस नियमों में, CrPC की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में जाना जाता है।
 - साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि CrPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध के लिये FIR दर्ज करना अनविर्य है।
- **FIR दर्ज करने के अपवादति नियम: ललतिा कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, (2014)** में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय कया कि CrPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधों के लिये FIR दर्ज करना अनविर्य है। इसके अतरिकित कुछ नमिनलखिति मामलों में FIR दर्ज करने से पूरव प्रारंभिक जाँच आवश्यक हो सकती है:
 - वैवाहिक/पारविरिक विवाद
 - वाणजियिक अपराध
 - चकितिसीय लापरवाही से संबंघति मामले
 - भ्रषटाचार के मामले
 - आपराधिक मामला शुरु होने में देरी वाली स्थतियिाँ, उदाहरण के लयि, देरी के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताए बनिा मामले की रिपोर्ट करने में 3 माह से अधिक का वलिंब।
 - प्रारंभिक जाँच 7 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहयि।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी नरिणय कया कि पुलिस को प्रदत्त जानकारी द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं होने की दशा में पुलिस FIR दर्ज करने के लयि बाध्य नहीं है।
 - ऐसे मामलों में पुलिस सामान्य डायरी/दैनिकी में जानकारी दर्ज कर सकती है और तदनुसार इत्तलिा देने वाले को सूचति कर सकती है।

सामान्य डायरी क्या है?

- सामान्य डायरी/दैनिकी किसी पुलिस स्टेशन में दैनिक आधार पर घटित होने वाले सभी क्रयिकलापों और घटनाओं का रकिाँर्ड है।
 - पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 राज्य सरकार को सामान्य डायरी के स्वरूप और उसके रखरखाव की वधिा को नरिधारति करने का अधिकार देती है।
- सामान्य डायरी में नमिनलखिति वभिनिन वविरण शामिल होते हैं:
 - पुलिस अधिकारियिाँ का आगमन एवं प्रस्थान
 - व्यक्तियिाँ की गरिफ्तारी
 - संपत्तकी ज़बती
 - शकियतों की प्राप्ति एवं समाधान

◦ कोई अन्य जानकारी जसि पुलसि स्टेशन का प्रभारी अधिकारी दर्ज करना आवश्यक समझे ।

- सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय: CBI बनाम तपन कुमार सहि (2003) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि एक सामान्य डायरी प्रवषिटि को एक उपयुक्त मामले में FIR के रूप में माना जा सकता है, जहाँ यह एक संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करता है ।

नोट:

- केस डायरी एक वशिषिटि मामले के लिये जाँच अधिकारी द्वारा रखी जाती है, जबकि सामान्य डायरी एक पुलसि स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी कानूनी घटनाओं को दर्ज करती है ।

पहलू	सामान्य डायरी प्रवषिटि	FIR
उद्देश्य	प्रशासनिक उद्देश्यों या भवषिय के संदर्भ के लिये शकियतों और घटनाओं को रकिर्ड करना	संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध कर वविचना करना
अपराध की प्रकृति	संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों	केवल संज्ञेय अपराधों के लिये
प्रलेखन	आंतरिक पुलसि रकिर्ड	सार्वजनिक रकिर्ड के लिये
वतिरण	शकियतकर्त्ता या न्यायिक मजसिद्रेट को प्रतयिँ प्रदान नहीं की जाती है; वरषिटि अधिकारयिँ को भेजी जाती है ।	शकियतकर्त्ता, वरषिटि अधिकारयिँ और न्यायिक मजसिद्रेट को प्रतयिँ प्रदान की जाती है ।
न्यायिक नरिीक्षण	मजसिद्रेट अनुरोध पर सामान्य डायरी का नरिीक्षण कर सकता है ।	मजसिद्रेट नरिीक्षण के लिये FIR की प्रतयिँ प्राप्त करता है ।
शकियतकर्त्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता	आवश्यक नहीं	आवश्यक

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. न्यायिक हरिसत का अर्थ है कि अभयिक्त संबंधति मजसिद्रेट की हरिसत में है और ऐसे अभयिक्त को पुलसि स्टेशन के हवालात में रखा जाता है न कि जेल में ।
2. न्यायिक हरिसत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलसि अधिकारी, न्यायालय की अनुमतकिे बनिा संदगिध व्यक्तसे पूछताछ नहीं कर सकते ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)